

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / १३५ / 2021

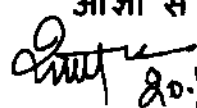
दिनांक : 29.01.2021

श्री योगेश शर्मा (RJ0397), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, कोटा को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 12.11.2020 से 16.11.2020 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश ।
2. दिनांक 17.11.2020 से 29.11.2020 तक 13 दिनों का परावर्तित अवकाश
दिनांक 30.11.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) क्रम-01, कोटा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, कोटा के पद पर ही की गई ।

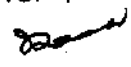
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/29/2002/ ५९९

दिनांक : 29.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 3812 दिनांक 02.12.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री योगेश शर्मा (RJ0397), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, कोटा ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, कोटा ।
5. अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) क्रम-01, कोटा ।


सहायक रजिस्ट्रार